

राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, सेवायें, राजस्थान, जयपुर
क्रमांक : ई/चिअ/एस-2722/2024/ दिनांक :

-:: आदेश ::-

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अजमेर के पत्र क्रमांक 3119 दिनांक 24.05.2024 के द्वारा की गई अभिशंभानुसार डॉ शैलेन्द्र कुमार गर्ग, उप निदेशक, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र श्रीनगर को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र श्रीनगर के कार्यालय के आहरण एवं वितरण अधिकारी की शक्तियां सामान्य वित्त एवं लेखा नियम-3 क के अन्तर्गत अस्थाई तौर पर अग्रिम आदेशों तक प्रदान की जाती है।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान, जयपुर
दिनांक : 31/05/2024

क्रमांक : ई/चिअ/एस-2722/2024/140

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन- अजमेर ।
2. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अजमेर ।
3. कोषाधिकारी सम्बन्धित ।
4. चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, श्रीनगर, अजमेर ।
5. डॉ. शैलेन्द्र कुमार गर्ग, उप निदेशक, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र श्रीनगर अजमेर ।
6. प्रभारी सर्वर रूम को भेजकर लेख है कि उक्त पत्र विभाग की वेबसाईट पर आज ही अपलोड करावें ।
7. रक्षित/निजी पत्रावली ।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान, जयपुर

RajKaj Ref
7674071

Document certified by RAVI PRAKASH
MATHUR <rpm272004@yahoo.co.in>.

Digitally Signed by RAVI
PARKASH MATHUR
Designation: Director
Date :31-05-2024 05:10:07